9

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

पुष्पेंद्र कुमार वर्मा*

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलावों के साथ *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को मंजूरी दे दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत बोध और चेतना का विकास करना है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को महत्व, पाठ्यक्रम को और अधिक गुणवत्ता युक्त, लचीला और मूल्यांकनपरक करने की बात कही गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, मूल्यपरक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए, भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ-साथ, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, पुनर्स्थापना एवं प्रसार पर बल देती है, जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी। भारत सरकार का प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की दृष्टि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है, जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों को जगह मिले। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारत की झलक दिखे। शिक्षा पर सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसे अधिक तार्किक एवं लक्ष्य केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के एकसमान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, वृद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोण का विकास करना है। प्रस्तुत लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की समीक्षा कर चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

**सहायक आचार्य* (बी.एड.), शिक्षा विद्याशाखा, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211 013

आदिकाल से ही भारतीय शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना है। समाज के प्रत्येक प्राणी का बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है। ऋग्वेद में विद्या को मानव की श्रेष्ठता का आधार बताया गया है। शिक्षा मानव जीवन का आधार है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान माना गया है। शिक्षा मानव के जीवन की प्रगति पथ पर पहली सीढ़ी है। हालाँकि शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है, किंतु यह केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, वरन यह बहुआयामी है। इसके बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि आयाम हो सकते हैं। यह सभी आयाम हमें अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ में सहयोग अवश्य प्रदान करते हैं। शिक्षा न केवल हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है, वरन यह हमें जिंदगी में कई ऐसे अहम फैसले लेने और जिंदगी को समझ से जीना भी सिखाती है। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान का निर्माण किया गया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कोठारी कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1968 में पहली बार शिक्षा नीति लाई गई थी। इस तरह से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991/92 (पी.ओ.ए.) और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा को देश में लागू किया गया था। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जन-जन तक शिक्षा को पहुँचाना था, ताकि सभी शिक्षा से जुड़ सकें। 21वीं सदी का भारत इन सबसे आगे बढ़कर कुछ अलग और ऐसी शिक्षा नीति की उम्मीद लगाए बैठा था जो उसे वर्तमान की परिस्थितियों से सामना करने में सक्षम बनाएँ। भारत सरकार ने *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और विकास, शिक्षा के ढाँचे को लचीला, सीखने पर बल, विद्यार्थियों में तार्किक एवं रचनात्मक सोच का विकास, रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ विद्यालय शिक्षा को 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के रूप में करने का निर्णय लिया।

शिक्षा नीति का विजन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में, बल्कि व्यवहार, बुद्धि एवं कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य

- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का उद्देश्य शिक्षा की आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना है।
- विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है।
- मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई को महत्व देना है।
- स्कूल से दूर रह रहे बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6 फीसदी खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, जो अभी 4.43 फीसदी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु

नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढाँचा— राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था 10+2 को 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित किया गया है। वर्तमान में 3–6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढाँचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढाँचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियाँ हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

सार्वभौमीकरण और समावेश सुनिश्चित करना भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का नामांकन प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु आँकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्षणों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए साथ ही 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाना होगा और भविष्य में बच्चों के विद्यालय छोड़ने की दर को भी कम करना होगा।

तालिका 1— विद्यालयी संरचनात्मक व्यवस्था

नया फार्मेट एक स्तर (कितने वर्ष का)	स्तर	आयु	कक्षा स्तर
5	बुनियादी स्तर	3–8 वर्ष	पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 2 तक
3	प्राथमिक स्तर	8–11 वर्ष	कक्षा 3–5
3	मध्य स्तर	11–14 वर्ष	कक्षा 6–8
4	माध्यमिक स्तर	14–18 वर्ष	कक्षा 9–12

स्रोत— https://www.education.gov.in

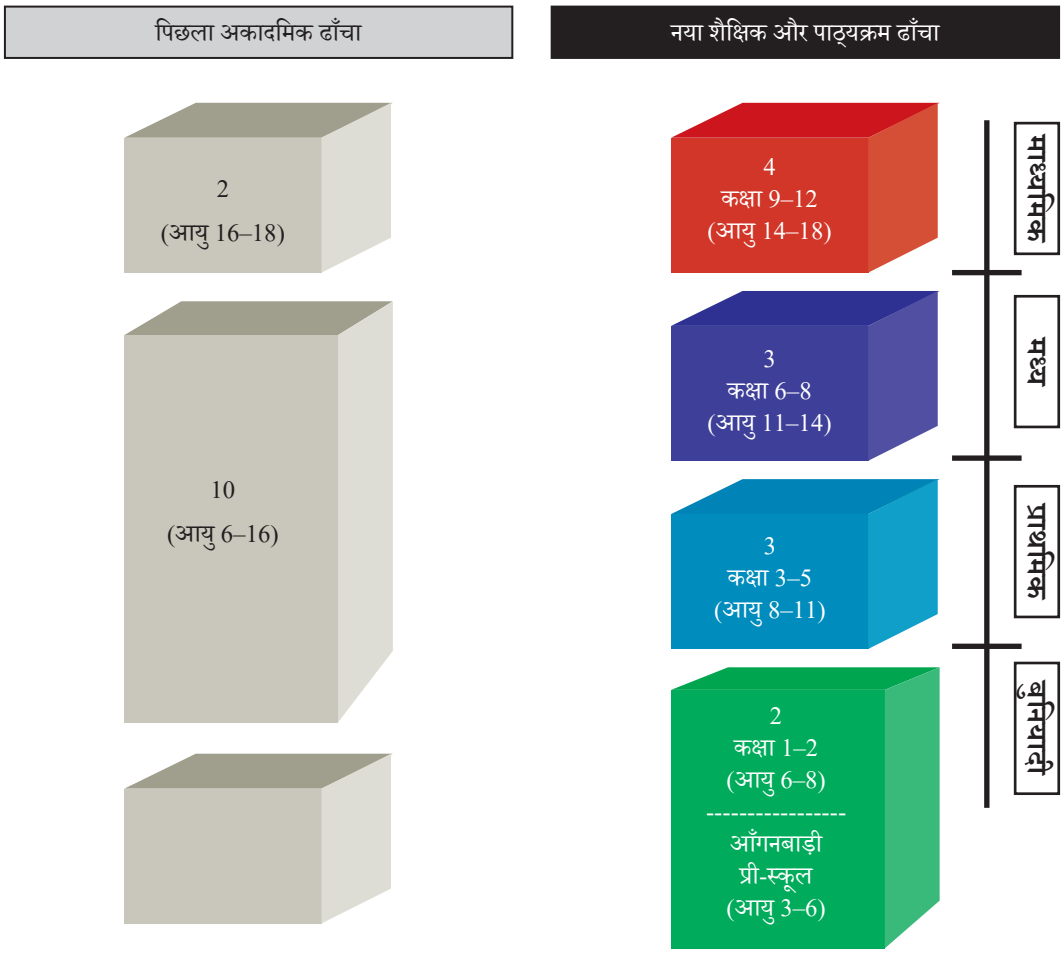

तालिका 2— स्कूली शिक्षा में जी.ई.आर. (सकल दाखिला अनुपात)

कक्षा	सकल दाखिला अनुपात (%)
कक्षा 6–8	90.9
कक्षा 9–10	79.3
कक्षा 11–12	56.5

यह आँकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। नीति में कहा गया है कि ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या को कम करना है और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना होगा। साथ ही स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और उनके सीखने के स्तर

पर भी नजर रखनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं तथा यह ध्यान रखना होगा कि ये बच्चे शिक्षा में कहीं पीछे तो नहीं रह गए हैं और पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थी (विशेष रूप से लड़कियाँ और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर कुछ वंचित समूहों के विद्यार्थी, छोटे गाँवों और छोटे कस्बों के विद्यार्थी, प्रवासी समुदाय और निम्न आय वर्ग के परिवार, दिव्यांग) और उनके माता-पिता स्कूल में भागीदारी के प्रति अपनी रुचि न खोएँ।

ऐसे समूहों से संबंधित योजनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में इन वंचित समूहों की अधिक संख्या मौजूद है, वहाँ विशेष शिक्षण क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। जेंडर आधारित समावेशी कोष भी बनाए जाने चाहिए, जो शिक्षा हासिल करने में सभी की मदद करें।

प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार

बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा

वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) में निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और प्रगति करने के समान अवसर मिल सकेंगे।

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों के शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणाम को प्राप्त करना है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिए आँगनबाड़ी केंद्रों उच्चतर गुणवत्ता वाले बुनियादी शिक्षा के लिए खिलौने और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आँगनबाड़ी शिक्षकों की व्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत पुष्टाहार (मिड-डे मील) देने की भी बात कही गई है।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालिक 3 महीने का खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियों और कार्य पुस्तिकाएँ शामिल होंगी और अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि को शामिल किया जाएगा।
- द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला संबंधित शैक्षिक प्रक्रिया को कक्षा प्रक्रिया में स्थान दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ कक्षा अधिक आनंदपूर्ण बनेगी, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में

समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा।

- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की माँग की गई थी, जो निपुण भारत मिशन के रूप में संचालित है।

मातृभाषा में पढ़ाई

प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 5 तक और उसके आगे कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो ऐसा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की संस्तुति है।

दिव्यांग बच्चों हेतु प्रावधान (समावेशन)

- ई.सी.सी.ई. में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समानता सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में पारिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे को सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी अनुशंसाओं को पूरा करती है।
- दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी।
- आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए बाधामुक्त पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री (जैसे-बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्यपुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएँगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होंगी। एन.आई.ओ.एस. भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर-गुणवत्ता वाले मॉडयूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चे की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।
- विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र, गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने (होम स्कूलिंग) व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता-पिता अथवा अभिवावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए

गृह-आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा।

भारतीय सांकेतिक भाषा को देश-भर में मानकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

- ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टैक्नोलॉजी फोरम (एन.ई.टी.एफ.) बनाया जा रहा है, जिसके लिए आभासी प्रयोगशाला विकसित की जा रही है।
- रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, इसमें विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है साथ ही कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों आदि सुधारों को शामिल किया जाएगा तथा विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की बात थी, जो अब पूरी हो चुकी है।
- रा.शै.अ.प्र.प. में 'परख' की स्थापना की गई है।
- रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बुनियादी स्तर की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित किया गया है।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।
- शिक्षकों के लिए 50 घंटे के अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के सभी पक्षों को व्यापक रूप से शामिल करते हुए 4–5 घंटे के 18 मॉडयूल 'निष्ठा' के तहत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन माध्यम में दीक्षा मंच में 6 अक्तूबर 2020 से शुरू किए गए हैं। अब तक इसमें बहुत अधिक पाठ्यक्रमवार पंजीकरण हो चुके हैं और बहुत से शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
- वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव की क्षमता विकसित नहीं की है, उनकी पढ़ने, लिखने, और संख्याओं के साथ-साथ बुनियादी संक्रियाएँ करने की क्षमता का विकास भी किया जाएगा।
- प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की अधिकता वाले स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में चुनौतियाँ

- वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ आ सकती हैं, जैसे— कक्षा-कक्ष को कैसे सीखने के लिए तैयार करना है, सर्वांगीण

विकास के लिए कैसी गतिविधियाँ होनी चाहिए, मूल्यांकन कैसे हो इत्यादि। शिक्षा को गतिविधि आधारित और रोचक बनाने हेतु उपयुक्त संसाधनों का अभाव है।

- स्कूली शिक्षा में सुधार के अलावा, शिक्षण और प्रशिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बच्चों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर सीखने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है, किंतु शिक्षाविदों के अनुसार इसका क्रियान्वयन करने में बड़ी चुनौती होगी। हालाँकि सरकार पूरी नीति को समग्र रूप से लागू करने की अवधि को वर्ष 2040 तक मानकर चल रही है, किंतु मुद्दों की अस्पष्टता को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता होगी, जैसे— पाठ्यक्रम को कैसे बच्चों के सीखने के अनुकूल बनाएँगे?, उनका आधार क्या होगा?, सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नामांकन का लक्ष्य कैसे पूरा किया जायेगा?, शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जायेगा? इत्यादि।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में त्रिभाषी नीति भी एक चुनौती पेश कर रही है। पिछली शिक्षा नीतियों में, 1968 और 1986 में भी इसकी अनुशंसा की गई थी।
- इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी खर्च करने की बात पूर्व की शिक्षा नीतियों में की गई थी, परंतु अभी भी यह लक्ष्य अधूरा है और इसके लिए सरकार क्या नए कदम उठाएगी?

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा नीति में निहित प्राथमिक शिक्षा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। बिना बुनियादी शिक्षा को मजबूत किए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। वर्तमान समय में प्राइमरी में चल रहे पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। तार्किक एवं अवधारणात्मक शक्ति विकसित करने पर बल दिया जा रहा है और रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है। शिक्षा समाज पोषित होनी चाहिए। अतः समाज के सभी वर्गों का सहयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अपेक्षित है। आने वाला समय वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह मानना है कि इस राष्ट्रीय पुनीत कार्य में सभी को स्वेच्छा से बढ़-चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए एवं ऐसे शिक्षक जो सेवानिवृत हो रहे हैं उन्हें भी स्वेच्छा से राष्ट्र के पुनरुत्थान में अपना-अपना योगदान देना चाहिए। सरकार ने *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* लागू कर भारत को विश्वगुरु के पद पर पुन: प्रतिष्ठित करने हेतु एक अनुकरणीय प्रयास किया है। निश्चित रूप से यदि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का सही मायने में क्रियान्वयन होता है तो भारत पुन: विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा।

संदर्भ

अलावदा, वीरेंद्र. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020— समीक्षा एवं विश्लेषण. *सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल*. पृ.सं. 72–74. https://rashtriyashiksha.com/national-education-policy-2020-primary-education/

जांगिडे, कामिनी और उज्मा एजाज. 2020. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020— 21 वीं सदी का सम्यक विजन. *शैक्षिक उन्मेष पत्रिका*. शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश.

म.गां.अं.हिं.वि. 2020. *एक सिंहावलोकन—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा. http://www.mgahv.in/Pdf/RashtriyaShikshaNeeti2020.pdf

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. 19 सिंतबर 2023 को https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/new-education-policy से प्राप्त।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ. 19 सिंतबर 2023 को https://www.ugc.gov.in/pdfnews/0144334_hindi_he-final-31072020.pdf से प्राप्त।

शारंदेव, काली शंकर. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. सम-सामायिक घटना चक्र, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश.

शिक्षा मंत्रालत्र. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. 19 सिंतबर 2023 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त।

सिंह, हेमंत. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020— प्रमुख पॉइंटस एक नजर* में 19 सिंतबर 2023 को https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/highlights-of-new-education-policy-2020-in-hindi-1596083968-2 से प्राप्त।